(1)

छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय
रायपुर
—00—

क्रमांक–एफ–13–39 / दो–गृह / न.से. / 09 रायपुर, दिनांक 05 / 09 / 2011

प्रति,

महानिदेशक,
नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा,
छ0ग0 रायपुर

विषय :– होमगार्ड विभागीय विपदा निधि नियम का अनुमोदन।
संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक–33 / 283 / के0वि0वि0 / 10 दि0 18–08–2010

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करे। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार छत्तीसगढ़ नगर सेना विभागीय विपदा निधि नियम का अनुमोदन किया जाता है।

5.8.11

(ए0एच0सिद्दकी)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, गृह विभाग

नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक– / 1812 / अ.नि. / 2011 रायपुर दिनांक 18-8-2011

प्रतिलिपि :–

1– कमाण्डेंट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नगर सेना माना केम्प रायपुर,
2– संभागीय सेनानी नगर सेना रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर,
3– समस्त जिला, सेनानी नगर सेना छत्तीसगढ़,
को सूचनार्थ एवं संलग्न विपदा निधि नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

18/8/11

(आर0के0पाण्डेय)
सीनियर स्टॉफ ऑफिसर
नगर सेना छत्तीसगढ़

आंतरिक
पी.एस.टू डी.जी. / पी.ए.टू आई.जी. / एस.एस.ओ.
जे.एस.ओ. / क्यू.एम. / डी.डी.एफ. / ओ.एस. / सहा.अधी.
सीनि.ऑ. / वित्त शाखा 1,2,3,4,5 / सामान्य शाखा / स्था. 1,2,3 / प्रशि.शाखा

D:\N-P-F-\npf.doc-101

(36)

नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा छत्तीसगढ़ मुख्यालय

—ज्ञापन—

क्रमांक—33 / 283 / के0वि0नि / 2010 , रायपुर, दिनांक 18/8/10

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
मंत्रालय रायपुर ।

विषयः— होमगार्ड विभागीय विपदा निधि नियमं का अनुमोदन।

संदर्भः— छ0ग0 शासन गृह विभाग का पत्र क0--एफ—13 / 39 / दो / गृह / दि0 06.01.10

—00—

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें। छ0ग0 राज्य विभाजन के पूर्व एकीकृत म0प्र0 होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर द्वारा होमगार्ड विपदा निधि के संबंध में जारी पत्र पृ0क्रमांक—पांच—17 / 6 / 1033 / प्रशि(4) / 94 दिनांक 01.02.1994 एवं परिपत्र क्रमांक— पांच—17 / 81 / 11885 / डिस्ट्रेस फंड / 96 दिनांक 09.10.1996 (छायाप्रति संलग्न) अनुसार छ0ग0 में भी विपदा निधि का संचालन किया जा रहा है। संदर्भित ज्ञापन के निर्देश अनुसार छ0ग0 नगर सेना विभागीय विपदा निधि नियम तैयार कर अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

संलग्न — विपद निधि नियम

(signature) 18/8/10
(अनिल एम. नवानी)
महानिदेशक
नगर सेना, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ नगर सेना विभागीय विपदा निधि नियम

1— **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार**

1— यह नियम छत्तीसगढ़ नगर सेना विपदा निधि नियम 2010 कहलायेगें ।

2— यह नियम नगर सेना विभाग के समस्त वेतन भोगी कर्मचारियों एवं स्वयं सेवको के लिए लागू होगें।

3— यह एक अशासकीय निधि है,जिसका संचालन मुख्यतःनिधि के सदस्यों से प्राप्त मासिक अंशदान के आधार पर किया जावेगा ।

4— विपदा निधि का संधारण प्रदेश मुख्यालय ,केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नगर सेना तथा जिला मुख्यालय में किया जावेगा।इस निधि का संधारण निम्नानुसार होगा :—

(1) केन्द्रीय विपदा निधि ।

(2) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान ,नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा विपदा निधि।

(3) जिला विपदा निधि ।

02— **आय के स्त्रोत—**

01— इस निधि में छत्तीसगढ़ नगर सेना में कार्यरत समस्त अधिकारीयों / कर्मचारियों / स्वयं सेवियों से प्राप्त मासिक अंशदान।

02— छत्तीसगढ़ नगर सेना मे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से प्राप्त अंशदान।

03— छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त अनुदान की राशि।

04— अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सहायता / बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि।

3— **निधि का उद्देश्य**

इस निधि का उपयोग निम्नानुसार होगा :—

01— निधि के सदस्यों को तथा उनके परिवार के सदस्यों को यदि कोई दैवीय विपत्ति अथवा असाध्य रोग के इलाज के लिए आर्थिक सहायता जो अन्य शासकीय स्त्रोतो से उपलब्ध न कराई जा सके ।

इसके अन्तर्गत निम्न व्यय समाहित होगें:—

वर्ग (अ) बीमारी का विवरण :— केंसर ,हार्ट से सबंधित विशेष उपचार ,किडनी ट्रान्सप्लांट ,ब्रेन ट्यूमर ,कम्पाउण्ड फेक्चर ,गंभीर दुर्धटना के फलस्वरूप सिर का आपरेशन या अंग भंग की स्थिति पर विशेष उपचार इत्यादि। चिकित्सा प्रपत्रों और इकाई प्रमुख की वैयक्तिक अनुशंसा के आधार पर विचार किया जायेगा।

वर्ग (ब)— आकस्मिक विपत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न गंभीर आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति जैसे —आग,बाढ़ से तबाही या डकैती के फलस्वरूप उत्पन्न गंभीर क्षति या कर्तव्य निर्वहन में मुठभेड़ या साहस या शौर्य प्रदर्शन के समय आर्थिक क्षति । इन प्रकरणो में पुलिस रिपोर्ट के अलावा सक्षम राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जायेगा ।

वर्ग (स)— ऐसे गंभीर बीमारी जिसका लम्बे समय तक इलाज चलता है और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अलावा भी अतिरिक्त खर्च के कारण कर्मचारी को आर्थिक कठिनाई हो रही हो जैसे —टी.बी. की अंतिम अवस्था ,लकवा ,गंभीर रूप से जल जाना इत्यादि। ऐसे प्रकरणो मे भी चिकित्सा सबंधी प्रपत्रो तथा इकाई प्रमुख की वैयक्तिक अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा ।

02(अ)— कर्मचारियो एवं स्वयं सेवकों के स्वयं के प्रकरण में वर्ग वार सहायता राशि निम्नानुसार अधिकतम देय होगी :—

वर्ग (अ) — रू 25000/—
वर्ग (ब) — रू 15000/—
वर्ग (स) — रू 10000/—

(ब)— कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों के परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु अधिकतम सहायता राशि निम्नानुसार देय होगी :—

वर्ग (अ) — रू 10000/—
वर्ग (ब) —रू 7000/—
वर्ग (स) —रू 5000/—

(स) परिवार के आश्रितो मे केवल आश्रित माता —पिता , पत्नी एवं अविवाहित और बेरोजगार बच्चे ही माने जायेगें । आश्रित माता—पिता की परिभाषा शासन के नियमों में स्वीकृत परिभाषा के अनुरूप होगी ।

- विपदा निधि से सहायता दिये जाने के सबंध में प्राप्त प्रकरणो पर निम्न समिति विचार करेगी । समिति की बैठक प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह मे होगी ।

01—	डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर जनरल के मुख्यालय में न रहने पर महानिरीक्षक अध्यक्षता करेगें ।	—	अध्यक्ष
02—	महानिरीक्षक नगर सेना छ.ग.(एडिशनल कमाण्डेन्ट जनरल)	—	सदस्य
03—	सीनियर स्टाफ आफीसर मुख्यालय	—	सदस्य
04—	क्वार्टर मास्टर मुख्यालय	—	सदस्य
05—	शासकीय सिविल अस्पताल माना कैम्प रायपुर के मेडिकल आफिसर। (अनुपलब्धता की स्थिति में जिला पुलिस अस्पताल रायपुर के मेडिकल आफिसर)	—	सदस्य

04 व्यय का प्राधिकार

इन नियमों के नियम 2 में अंकित उद्देश्यों के लिए व्यय हेतु महानिदेशक नगर सेना छ0ग0 प्राधिकृत होगें ।

05— **लेखा संधारण**

(1) निधि का संधारण अध्यक्ष ,केन्द्रीय विपदा निधि ,केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान /जिला विपदा निधि समिति व्दारा नामांकित किसी अधिकारी के पर्यवेक्षण में किसी लिपिक व्दारा संधारित किया जायेगा ।

(2) इस निधि का उपयोग निजी संस्थाओं की कम्पनियों एवं शेयर्स पर नहीं किया जायेगा। निधि की राशि कार्यालय में नगद न रखकर बैंक में जमा की जावेगी ।

06— **लेखा परीक्षण**

इस निधि का लेखा परीक्षण वर्ष में एक बार विभागीय लेखा परीक्षको व्दारा किया जावेगा ।

07— **अभिलेख**

विपदा निधि के लिए निम्नांकित अभिलेख संधारित किया जाना होगा ।

(1) कैश बुक
(2) बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर
(3) मनीरसीद बुक (अध्यक्ष व्दारा निर्धारित तथा कमांकित)
(4) समस्त स्वीकृतियां तथा भुगतान व्हाउचर्स
(5) पत्राचार नस्तियों
(6) समिति व्दारा आदेशित अन्य रजिस्टर तथा अभिलेख

संलग्न— परिशिष्ट

क्र०/50

Sd/- 18/8/10
(अनिल एम.नवानी)
महानिदेशक,
नगर सेना, छत्तीसगढ़